भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2361
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

व्यक्तित्व अधिकार और एआई

†2361. श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एआई-जनित व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में नागरिक उपचार और अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश मौजूद हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले दो वर्षों में अदालतों द्वारा स्वीकार किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या ऐसे मामलों के निपटान के लिए अदालतों हेतु मॉडल प्रक्रियात्मक नियमों पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : इन विषयों का निपटारा संबद्ध न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा प्रत्येक मामले के विद्यमान विधिक उपबंधों, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार किया जाता है। सभी विषय, जिनमें एआई – जनित व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में नागरिक उपचार और अंतरिम राहत शामिल हैं, उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 और भारत का उच्चतम न्यायालय कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका 2017 में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा सक्षम प्राधिकारी के साधारण और विनिर्दिष्ट निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध हैं। उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 और भारत का उच्चतम न्यायालय कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका 2017 भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट अर्थात् http://www.sci.gov.in पर सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में क्रमश: टैब प्रकाशन के तथा उच्चतम न्यायालय नियम और कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के अधीन उपलब्ध हैं। एआई – जनित व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के मामलों से संबंधित डाटाबेस में कोई ऐसा विनिर्दिष्ट 'विषय प्रवर्ग' नहीं है। ऐसे मामलों से संबंधित डाटा केंद्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

*****